राजस्व अपील संख्या : 29/2025
उनवान : डूंगरसिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/129

अपीलाण्ट्स :–		रेस्पोडेण्ट्स :–
डूंगरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी सादडा तहसील बाली जिला पाली राज.	बनाम	राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 11/2024 अनवान सरकार बनाम डूंगरसिंह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरुद्ध पेश की गई।

उपस्थिति :–

- **अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विरमदेव सिंह सोनीगरा उपस्थित।**

अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: 30.04.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **न्यायालय तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 11/2024 अनवान सरकार बनाम डूंगरसिंह अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित आदेश दिनांक 24.03.2025 के विरुद्ध पेश की गई।** अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट के विरुद्ध पटवार हल्का बाली लाटाड़ा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सादडा पटवार हल्का लाटाडा की सरहद के खसरा नम्बर 425 रकबा 0.0228 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सडक पर अपीलाण्ट द्वारा सम्वत् 2078 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी रिपोर्ट पर रेस्पेडेण्ट अपीलाण्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किया गया तथा वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुना 50 रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यतीत होकर अपीलाण्ट यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है:–

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

राजस्व अपील संख्या : 29 / 2025
उनवान : डूंगरसिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उचित सुनने का अवसर व समय दिये बगैर बाले बाले कानुनी प्रक्रिया विरुद्ध आदेश पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
3. यह है कि अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है। बल्कि अपीलाण्ट सालो से खसरा नम्बर 378 पर काबिज है और वहा पर उसकी कई सालो से मकान एवं दुकान बनी हुई है जो उसके रोजी रोटी का जरिया है।
4. यह है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना व बिना किसी साक्ष्य के अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने की भारी भूल की है। अदालत मातहत के पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं होने के बावजुद अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानकर अपीलाण्ट को बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया है जो कानुन की मंशा के विपरित होने से अदालत मातहत का आदेश काबिल मंसुखी है।
5. यह है कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुने बिना एवं अपीलाण्ट को समुचित अवसर दिए बिना, कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर यह निर्णय पारित किया है जो निर्णय आदेश मनमाना अनुचित व कानुनी सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
6. यह है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने मात्र से स्पष्ट है कि अदालत मातहत के समक्ष अपीलाण्ट के अतिक्रमण के सम्बन्ध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध थे। फिर भी अपीलाण्ट को जबरन 91 भू–राजस्व का अधिनियम को दोषी मानते हुए बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया गया है। जो विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से काबिल खारिज होने योग्य है।
7. यह है कि अधीनस्थ अदालत द्वारा केवल हल्का पटवारी प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलाण्ट को अतिक्रमी मानने पर भारी भूल की है। अपीलाण्ट की सालो से व कब्जा काश्त भूमि है तथा निर्विवाद उनका हक एवं अधिकार चला आ रहा है, जो कब्जा काश्त भूमि है जिस पर उनका कब्जा काश्त रहवास चला आ रहा है। अपीलाण्ट के द्वारा कब्जा विवाद ग्रस्त भूमि पर नहीं किया गया है।
8. यह है कि अपीलाण्ट को खसरा नम्बर 425 पर अतिक्रमी बता रहे है व सड़क मार्ग है जिसका हल्का पटवारी द्वारा कोई सीमांकन नहीं किया गया और मात्र एक व्यक्ति के शिकायत के आधार पर उसको नोटिस देकर अतिक्रमणकारी बता रहा है। जबकि मौके पर वे रोड से बहुत ही अन्दर उसके खेत के धोरापाली के सीमा के अन्दर मकान एवं दुकान बने हुए है। जो सेटलमेण्ट के दौरान उसको मौके पर चिह्नित कर दिया गया, उसके अनुसार कब्जा है और उसी हद में उसका मकान और दुकाने करीब 14–15 वर्ष से हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.07.2024 को नोटिस जारी कर दिनांक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

29.07.2024 को अपीलाण्ट को उपस्थित होने का आदेश प्रदान किया गया तथा अपीलाण्ट को तारीख पर उपस्थित होकर जवाब देकर निवेदन किया था कि अन्य तारीख पेशी पर वह अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अदालत मातहत कि द्वारा सुनने बिना एवं अवसर दिए बिना एक पक्षीय कार्यवाही की जो काबिल निरस्त करने योग्य है।

9. यह है कि अपीलाण्ट ने कोई अतिक्रमण ने कोई अतिक्रमण नहीं किया गया बल्कि एक व्यक्ति के बार–बार नाजायज शिकायतों को शान्त करने के लिए हल्का पटवार ने अपने जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए अपीलाण्ट को अतिक्रमी बताकर तहसील में रिपोर्ट पेश की गई।

10. यह है कि राजस्व ग्राम सादडा के खसरा नम्बर 425 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर किस्म गै.मु.सड़क जिसका कोई सीमांकन नहीं किया गया और दिनांक 13.01.2022 को रिपोर्ट पेश की है जिसमें अपीलाण्ट का 0.0228 हैक्टेयर का कब्जा बताया है। जिसमें उसने स्पष्ट इस बात का अंकन किया है मौके पर अपीलाण्ट का पक्का मकान, दीवार, दुकान, प्याउ निर्माण हो रखा है वही दिनांक 01.06.2022 को नोटिस में है जिसमें अपीलाण्ट का कस्बा 0.0320 हैक्टेयर का कब्जा बताया है जिसमें अभी यह तय नही है कि अपीलाण्ट का अतिक्रमण कितना है तो उसको निर्माण को अतिक्रमण बताना बेईमानी है, केवल एक व्यक्ति की व्यक्तिगत शिकायत के सम्बन्ध के लिए ऐसी कार्यवाही करना कतई न्यायोचित नही है। जो आदेश निरस्त होने योग्य है।

11. यह है कि हल्का पटवारी लाटाडा दिनांक 11.10.2021 को एक रिपोर्ट पेश की जिसमें अपीलाण्ट को 04 बाई 41 फीट का अतिक्रमी माना इससे स्पष्ट है दोनो रिपोर्ट पूर्णतया तथ्यहीन है। जिसमें कई मेल नही हो रहा है ऐसे में स्पष्ट है मात्र किसी की शिकायत की निरस्तीकरण करने हेतु जैर अपील आलोच्य कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलाण्ट की हद के आगे लोगो के मकान और कई निर्माण कार्य हो रखा है।

12. यह है कि उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्देश पर जो मौका फर्द बनाई गयी उसके मात्र खसरा संख्या 380 एवं 378 के सटे भाग का सीमांकन कर उनको अतिक्रमी बताया गया, जबकि नक्शा फर्द में आस पास के खसरों का कोई जिक्र नहीं किया और खसरा संख्या 425 की सीमा का स्पष्ट अंकन नहीं किया गया मात्र दो साईड की दिशा प्रदर्शित है जबकि पुरे खसरे की सीमाओं को दर्शाना ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके लेकिन ऐसा मौका फर्द में कही अंकन नहीं है कि खसरा नम्बर 425 की लम्बाई कीतनी है और किस किस स्थान पर उसकी चौडाई है।

13. यह है कि मौका फर्द को देखते ही प्रथमदृष्टया नजर आता है कि अपीलाण्ट अन्य सीमाओं से काफी अन्दर तक है जो कही पर रास्ते पर नहीं है।

14. यह है कि अपीलाण्ट ने जिस चक से राजस्व गांव सादडा खसरा संख्या 378 की भूमि को 50–60 साल पहले खरीद की थी उस दौरान सेटलमेंण्ट के दौरान जो सीमांकन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 29 / 2025
उनवान : डूंगरसिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

किया गया था उसके अनुसार आज भी काबिज है। जबकि आज भी उक्त चक 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि कम है जो रास्ते की भूमि में है। ऐसे कोई अपीलाण्ट को कोई समुचित अवसर दिए बिना व बाले बाले में आदेश प्रदान किया है।

अतःअपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल रिकॉर्ड अधीनस्थ न्यायालय से तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया किः–

1. यह है कि प्रश्नगत भूमि खाता संख्या 01 के खसरा संख्या 425 के रुप में दर्ज राजकीय सिवायचक भूमि होने से प्रार्थी का कब्जा विधि विरुद्ध होने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई, जो विधि सम्मत है।
2. यह है कि प्रार्थी को विधिवत नोटीस जारी कर कार्यवाही की गई, साथ ही प्रार्थना पत्र में बिन्दु संख्या 10 के अनुसार उक्त भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी प्रार्थी को थी।
3. यह है कि अतिक्रमण का विषय खसरा नम्बर 425 से संबंधित है पटवारी हल्का की रिपोर्टनुसार उक्त भूमि दुकान व अन्य निर्माण है। उक्त निर्माण के संबंध में प्रार्थी स्वयं भी बता रहे है।
4. यह है कि उक्त अतिक्रमी के विरुद्ध नियमानुसार विधिवत राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है जो कि प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या 10 में भी उल्लेख किया गया है कि पूर्व में अतिक्रमण संबंधी नोटीस प्राप्त हुआ था।
5. यह है कि अपीलाण्ट को समुचित अवसर दिया गया एवं कानुनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधिवत राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है एवं तामीली रिपोर्ट की प्रति भी सलंग्न है।
6. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रावली के बिन्दु संख्या 10 में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में अतिक्रमण संबंधी नोटीस प्राप्त हुआ था। जिससे सिद्ध होता है कि अतिक्रमी को अतिक्रमण की जानकारी थी एवं विधिवत धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है।
7. यह है कि हल्का पटवारी द्वारा सम्पर्क शिकायत अनुसार विधिवत मौके की जांच कर टी.पी. रिपोर्ट पूर्व में प्रस्तुत की गई है। अतः सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण का कोई अधिकार / प्रश्न अतिक्रमी का नही बनता है।
8. यह है कि पूर्व में हल्का पटवारी लाटाडा व भू.अ. निरीक्षक, मुण्डारा द्वारा सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण की जांच करने के उपरान्त विधिवत धारा 91 के तहत टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके आधार पर राज. भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत कार्यवाही की गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 29 / 2025
उनवान : डूंगरसिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

9. यह है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया गया, उसके उपरान्त ही पटवारी हल्का द्वारा टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो सही है।

10. यह है कि राजस्व ग्राम लाटाडा के खसरा नम्बर 425 कुल रकबा 2.1800 हैक्टेयर किस्म गै.मु. सडक जो की सिवायचक भूमि है, उसकी जांच पटवारी हल्का द्वारा सन् 2022 में की गई थी, जो कि परिवादी स्वयं बता रहा है। अतः इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि सन् 2024 में की गई कार्यवाही से पूर्व परिवादी को अतिक्रमण की जानकारी थी एवं उक्त कार्यवाही धारा 91 के विधिवत की गई है।

11. यह है कि वर्तमान में जो रिपोर्ट पेश की गई है, वह अंतिम रिपोर्ट है एवं समय समय पर कब्जा में परिवर्तन संभव है। अतः वर्तमान टी.पी. रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शें के अनुसार सही है।

12. यह है कि उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के निर्देश पर जो मौका फर्द बनाई गई, उसकी जांच राजस्व रिकॉर्ड व नक्शे अनुसार मौके पर ही की गई उसके उपरान्त विधिवत धारा 91 के तहत टी.पी. रिपोर्ट तैयार कर पेश की गई। जिस पर विधिवत न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई जो सही है।

13. यह है कि वर्तमान में प्रस्तुत टी.पी. रिपोर्ट अन्तिम रिपोर्ट है जो कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें अनुसार सही है।

14. यह है कि उक्त प्रकरण वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व नक्शें के अनुसार जांच कर टी.पी. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। शेष बिन्दु हेतु परिवादी सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें।

काबिल अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण में प्रार्थी / गैर सायल को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना अपीलाधीन बेदखली आदेश पारित किया है, जो संधारणीय नहीं है। यह भी, कि पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्दों में विरोधाभाष है तथा खसरा नम्बर 425 के पास प्रार्थी की स्वामित्वाधीन भूमि है। उक्त भूमि का सीमांकन किए बिना प्रार्थी को अतिक्रमी मानना कानूनी भूल होगी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुए पारित बेदखली आदेश निरस्त फरमावें।

रेस्पोडेण्ट तहसीलदार बाली ने उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, जिसमें उसके कोई अधिकार सृजित नहीं होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाकर बेदखली आदेश पारित किए है। अतः हस्तगत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया गया तथा अपील मीमों एवं मूल रिकॉर्ड प्रकरण संख्या 11 / 2024 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रार्थी श्री डूंगरसिंह के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 29/2025
उनवान : डूंगरसिंह बनाम तहसीलदार बाली अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

विरुद्ध ग्राम सादडा के खसरा संख्या 425 गै.मु. सडक पर पक्का अतिक्रमण की पटवारी रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 12.07.2024 को पत्रावली प्रकरण संख्या 11/2024 मुर्तीब की गई एवं अप्रार्थी/अपीलाण्ट को ज़रिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की उक्त मिसल संख्या 11/2024 के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन से यह ज़ाहिर है कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थिति दी गई तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी उनके द्वारा बचाव में कोई दस्तावेज अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही में ऐसी कोई भी वैधानिक या प्रक्रियात्मक त्रुटि नही पायी गई जिस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.03.2025 में कोई हस्तक्षेप वांछनीय हो।

अतः हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सारहीन होने से ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **30.04.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली, जिला पाली